

ग्रामीण सेवा शिविर - 2025, ग्राम पंचायत : उमलानि

फार्म नं.- III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीविजयनगर


उमलानि वनाम

सरकार

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

नम्बर 239 सन् 2025

जी.सी.एम.एस. आईडी :2025 / 369

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
18.09.25	<p>प्रार्थी की ओर से शिविर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया। रिपोर्ट पटवारी हल्का / भू.अ.नि. / नायब तहसीलदार / तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा दुरुस्ती किए जाने की अनुशंषा की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रिकार्ड जमावंदी चक <u>115m</u> खाता सं. <u>106</u> में <u>S.B.B.S. शा.अ.नि.</u></p> <p><u>श.अ.नि.पुर</u></p> <p>के स्थान पर <u>S.B.S. शा.अ.नि.</u></p> <p><u>श.अ.नि.पुर</u></p> <p>की दुरुस्ती किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की तहरीर पृथक से जारी हो।</p> <p>निर्णय मजमा-ए-आम में सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> शकुन्तला उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर</p>	

